कार्यवृत्त

गुरूवार, 25 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 15 जून, 2017)

खण्ड–48
अंक–8

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नियम–310 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग द्वारा सीमा विस्तार के लिये गांवों को जोड़ने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में दी गयी अपनी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें। प्रश्नकाल के पश्चात् वे इसे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान, मा0 सदस्य ने कहा आज सत्र का अन्तिम दिन प्रतीत होता है अतः प्रस्ताव है कि सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिये ले लिया जाय। श्री अध्यक्ष ने कहा वे सभी सूचनायें ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे हैं। अतः निम्नांकित माननीय सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख सूचनायें ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार की गयीः–

1.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	टी0आई0 डिपार्टमेंन्ट सहस्रधारा, देहरादून द्वारा महिलाओं के मानदेय का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	विधान सभा क्षेत्र, सल्ट के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र, नैल एवं चनोली में कोई सुविधा न होने से व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	जनपद चमोली के तहसील आदि बद्री में तहसील स्वीकृति के बाद भी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में।
4.	श्री सौरभ बहुगुणा	उत्तराखण्ड राज्य में नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत रजिस्ट्री रेट बढ़ाये जाने के कारण रजिस्ट्री में आयी कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5.	श्री राजकुमार ठुकराल	जनपद ऊधमसिह नगर के जिला मुख्यालय, रूद्रपुर मे गौशाला निर्माण हेतु भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।
6.	श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	विधान सभा क्षेत्र, कपकोट के अन्तर्गत दुग नाकुरी में स्थापित महाविद्यालय का भवन न होने के कारण छात्रों को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।
7.	श्री नवीन चन्द्र दुम्का	राज्य सरकार द्वारा बी0पी0एल0 वर्ग के नागरिकों को चिकित्सा सहायता 'व्याधि निधि' के लम्बित प्रकरणों के भुगतान के सम्बन्ध में।
8.	श्री खजान दास	विधान सभा क्षेत्र राजपुर रोड के अन्तर्गत राजेश रावत कालोनी से पूरण बस्ती तक 35 के0वी0 विद्युत हाई टेंशन लाईन हटाये जाने के सम्बन्ध में।

9.	श्री हरबंस कपूर	देहरादून नगर निगम क्षेत्र में स्थापित डेयरियों से निकलने वाले गोबर को डेयरी स्वामियों के निजी व्यय पर उठाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
10.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र, रामनगर, राजकीय चिकित्सालय, मालधनचौड़ उच्चीकृत हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदों का सृजन एवं साज–सज्जा व उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
11.	श्री धन सिंह नेगी	विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत निर्माणाधीन पम्पिंग योजनाओं कोश्यार ताल, सारज्यूला, घण्टाकरण तथा कांडाताल को शीघ्र पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।
12.	श्री विनोद कण्डारी	विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड, कीर्ति नगर में भ्यूपाणी मोटर मार्ग का निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में।
13.	श्री संजय गुप्ता	विधान सभा क्षेत्र लक्सर ग्राम खेड़ी मुबारिक में स्थित मै0 बिरला टायर्स लि0 की सम्पत्ति में स्टाम्प की चोरी के सम्बन्ध में।
14.	श्री भरत सिंह चौधरी	ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के भूमिधरों के मुआवजे के सम्बन्ध में।
15.	श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के छड़नदेव में एम0बी0 मिनरल कार्पोरेशन द्वारा अवैध रूप से मैग्नेसाइड पत्थर निकाले जाने से स्थानीय निवासियों को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में।
16.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम टिमली के मंजरा चिड़ी बैली व हरियावाला कलां नई बस्ती धौलास में विद्युत लाईन बिछाने के सम्बन्ध में।
17.	डा0 प्रेम सिंह राणा	विधान सभा क्षेत्र, नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम देवीपुर, गिधौर एवं चैतुवाखेड़ा के कृषकों को भूमिधरी का दर्जा न मिलने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
18.	श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा क्षेत्र, भीमताल के अन्तर्गत विकास खण्ड, ओखलकाण्डा के छीड़ाखान से मटेला पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
19.	श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के ग्राम–रैखोली तथा कठानी की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से न होने से आक्रोश के सम्बन्ध में।
20.	श्री यतीश्वरानन्द	विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम अजीतपुर से टांडा भागमल तथा भोगपुर से तिलकपुरी तक 20 किमी0 लम्बी सुरक्षा दीवार का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
21.	श्री देशराज कर्णवाल	कन्हैया लाल पॉलीटैक्निक, रूड़की के प्रबन्ध समिति द्वारा पात्र को प्रधानाचार्य न बनाये जाने एवं जूनियर व अयोग्य को प्रधानाचार्य बनाये जाने के सम्बन्ध में।
22.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के अन्तर्गत, राजकीय महाविद्यालय, गोपेश्वर में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम को वित्त पोषित न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

23.	श्री गोपाल सिंह रावत	जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 2012–13 में असी गंगा व भागीरथी में आयी बाढ़ से आपदा प्रभावितों को अलग–अलग मानकों में सहायता राशि आवंटन करने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–18 की उपधारा–(2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा 2015–16 (वर्ष 2014–15 सहित) के लिए वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत कारगिल शहीद के ग्राम लखेड़ी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री बख्तार सिंह, ग्राम लखेड़ी, विकासखण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत स्यूणी तल्ली तक सड़क निर्माण सम्बन्ध में'' श्री चन्द्र सिंह परसारा, ग्राम स्यूणी तल्ली, विकासखण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत मालकोट–तिवाखर्क, मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बचन सिंह बिष्ट, ग्राम तिवाखर्क ग्राम पंचायत कालीमाटी, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुशिया चौन के क्षतिग्रस्त भवन के निमार्ण के सम्बन्ध में'' श्री हर सिंह रावत ग्राम–कुशिया चौन पोस्ट–बवाड़ी किचार जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में ग्राम दफोट तथा स्यालडोबा, में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में'' श्री खड़क सिंह दफोटी, ग्राम नायल पो0 दफोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम भटखोला में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री नवल किशोर भट्ट, ग्राम–भटखोला पो0–छानी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के बागेश्वर नगर में बढ़ंती हुई जाम की समस्या से निपटने के लिए बागेश्वर में पार्किंग की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री प्रकाश लाल शाह, ग्राम मोहल्ला–ठाकुरद्वारा पो0 बागेश्वर जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर, के ग्राम–मण्डलसेरा में ट्यूबवैल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री शेर सिंह मलड़ा, ग्राम व पो0 मण्डलसेरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम–द्यौनाई स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में'' श्री मंगल सिंह राणा, ग्राम –कोटतुलारी पो0– द्यौनाई, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन रामदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम–असौं, तरमोली,मल्लाकोट पेयजल पम्पिंग योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गोविन्द सिंह असवाल, ग्राम व पो0–असौं, जनपद बागेश्वर, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम–गलई, पो0–कन्धार, में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्धार का इण्टर में उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' कै0 कुन्दन सिंह कबडोला, ग्राम–गलई पो0–कन्धार, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत जौलकाण्डे व गिरेछीना को विशेष पर्यटन सर्किट से जोड़ने के सम्बन्ध में'' श्री अशोक लौहरी, ग्राम–जौलकाण्डे व पो0–अमसरकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम–देबलधार, में टी0आर0सी0 खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री शान्ति लाल, ग्राम–गौलाआगर व पो0–देबलधार, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में रोठिया जवाड़ी पेयजल योजना का निर्माण करने के सम्बन्ध में'' श्री मन मोहन सिधंवाल, ग्राम पो0 रौठिया, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त मुनि के धोलतीर कोठगी मोटर पुल के निर्माण करने के सम्बन्ध में'' श्री अरूण चौधरी, ग्राम पो0 नगरासू, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के नगरासू घोलतीर में 33 के0बी0 ए0 सब स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री विनोद राणा, ग्राम पो0 घोलतीर, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के बच्छणस्यूं में 33 के0बी0 ए0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु धनराशी आवटिंत करने के सम्बन्ध में'' श्री नरेन्द्र, ग्राम पो0 बाड़ा, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के मयाली –भीरी–गुप्तकाशी मोटर मार्ग का सुदृढीकरण/डामरीकरण करने के सम्बन्ध में'' श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम पो0 लालूड़ी, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्विारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्तमुनी के रा0 इ0 का0 जसोली के भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में'' श्री जितेन्द्र सिहं, ग्राम पो0 जसोली, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनी के रा0 उ0मा0वि0 तूना का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में'' श्री मोहन सिहं, ग्राम तूना पो0,सुमेरपुर जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के सुमाड़ी भरदार में आर0बी0 एफ0 (रिवर बैंक फिल्ट्रेशन) पेयजल योजना निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री लक्ष्मी प्रसाद, ग्राम व पो0, सुमाड़ी, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के गोरपा–सिरवाड़ा–कुरछोला मोटर–मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में'' श्री सज्जन सिंह, ग्राम पूलन, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र रावत, ग्राम व पो0 रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के ग्राम पाबौ, वि0 ख0 अगस्त्यमुनि, पीड़ा–पाबौ, मोटर–मार्ग पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री राकेश मोहन, ग्राम पाबौ, वि0 ख0 अगस्त्यमुनि, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत महलचौरी–सिलंमा प्रस्तावित मोटर–मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में'' श्री राजेन्द्र सिंह शाह, ग्रामसभा–सिलंमा, वि0 ख0 गैरसैण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के वि0 ख0 जखोली में आपदा पीडित ग्राम–पाजंणा के पुनर्वास के सम्बन्ध में'' श्री धन पाल, ग्राम व पो0 पाजंणा, वि0ख0 जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 14 जून, 2017 के उपवेश में दिनांक 15 जून, 2017 का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की हैः–

<u>15 जून, 2017</u>

विधायी कार्यः–

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 पर विचार एवं पारण **(10 मिनट)**

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा)

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे इनमें से मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना को ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

नगर विकास विभाग द्वारा सीमा विस्तार के लिये गांवों को जोड़ने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत दी गई नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री आदेश चौहान तथा श्री राजकुमार ने अपने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री को सुनने के पश्चात् उक्त सूचना अग्राह्य हुई।

मा0 सदस्य श्री करन माहरा ने नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई अपनी सूचना को लिए जाने का आगंह किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उक्त सूचना नियमों की परिधि में नहीं है क्योंकि नियम–54 के अन्तर्गत सूचना दिए जाने के लिए नियमानुसार बाध्यता यह है कि उसके साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी और नेता सदन के परामर्श से मा0 अध्यक्ष उस विषय को चर्चा के लिए तिथि और समय निर्धारित कर उसे सदन में घोषित करेंगे। वह बाध्यता इसमें पूर्ण न होने के कारण अनूमन्य नहीं है। इस पर विपक्ष के सदस्य नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई अपनी सूचना को लिए जाने का आगंह करते हुए जोर जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा हेतु कोई विषय उठाने के इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय की स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया का उल्लेख कर सचिव को लिखित रुप में सूचना दे सकेंगे परन्तु सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी जिसमें विषय की चर्चा उठाये जाने के कारण दिए जाएंगे और सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के

हस्ताक्षर से होगा। इसके नियम–22 में दिया है कि अध्यक्ष ग्राहयता का विनिश्चय करेंगे। यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वे आवश्यक समझें, समाधान हो जाये कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए तो वे सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिए तिथि व समय निश्चित कर देंगे। वह तिथि को तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि परिस्थितियों में उचित समझे और जो ढाई घन्टे से अधिक न हो, परन्तु ऐसे विषय पर चर्चा के लिए इससे पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेंगे। अतः यह सूचना कार्य संचालन नियमावली के नियम 54 सपठित नियम 55 के अन्तर्गत निर्बधंनों के अधीन प्रथम दृष्टिया ही अग्राहय है।

विधान सभा क्षेत्र, धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड़ नदी व पालीगाड़ नदी के किनारों पर कृषि भूमि का कटाव रोके जाने व सुरक्षात्मक उपाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। शहीर विकास मंत्री को सुनने पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 35 मिनट पर 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिये स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 284946 हजार (रूपये अठ्ठाईस करोड़ उनचास लाख छियालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–01 के अधीन मांग की गयी धनराशि पूर्णरूप से स्वीकृत की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 569067 हजार (रूपये छप्पन करोड़ नब्बे लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–03 के अधीन मांग की गयी धनराशि पूर्णरूप से स्वीकृत की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 956089 हजार (रूपये पंचानवे करोड़ साठ लाख नवासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–04 के अधीन मांग की गयी धनराशि पूर्णरूप से स्वीकृत की गयी।

राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 12912187 हजार (रूपये एक हजार दो सौ इक्यानवे करोड़ इक्कीस लाख सत्तासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

03 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री हरीश सिंह धामी ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री मनोज रावत
2. श्री भरत सिंह चौधरी
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार
4. श्री देशराज कर्णवाल
5. श्री मदन लाल शाह
6. श्री महेन्द्र भट्ट
7. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
8. श्री मुकेश सिंह कोली
9. श्री विनोद कण्डारी
10. श्री गणेश जोशी
11. श्री हरभजन सिंह चीमा
12. श्री सौरभ बहुगुणा
13. श्री सुरेश राठौर
14. श्री महेश सिंह नेगी
15. श्री राम सिंह कैड़ा
16. श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण
17. काजी मौहम्मद निजामुद्दीन
18. श्री संजय गुप्ता
19. श्री यतीश्वरानन्द
20. श्रीमती ममता राकेश
21. श्री आदेश चौहान
22. श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल
23. श्री फुरकान अहमद
24. श्री मुन्ना सिंह चौहान
25. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
26. श्री राजकुमार

काजी निजामुद्दीन ने कटौती के प्रस्ताव पर एक स्तर कम किये जाने को लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया। माननीय सदस्य काजी मुहोम्मद निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये कहा कि अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की प्रक्रिया में एक स्टैप कम किया जा रहा है। उन्होने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 31–3–1976 की प्रोसेसिग का उल्लेख करते हुये कहा कि प्रक्रिया अनुसार जो कटौती प्रस्ताव मा0 सदस्य सदन मे रखते हैं उसके बाद अन्य सदस्य बोलते हैं। इन सदस्यों के बोलने के पश्चात कटौती प्रस्ताव करने वाले सदस्य पुनः जवाब देगे और फिर मा0 मंत्री बोलेगे इस तरह से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य का उत्तर न आना प्रक्रिया में से एक स्टैप कम है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया अनुसार मा0 मंत्री अनुदान मांग प्रस्तुत करते है और प्रस्तुतिकरण के समय बताते है कि अनुदान की मांग क्यों प्रस्तुत की जा रही है।

ततपश्चात विपक्ष के मा0 सदस्य बोलते हैं की अनुदान की मांगों मे अमुक–अमुक कमिया है जिसे दूर करने के लिए वो सुझाव देते हैं। जिसके लिए कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है तदपरान्त सदन मे विपक्ष तथा सता पक्ष दोनो ओर से सदस्य चर्चा मे भाग लेते हैं। इसके बाद कटौती के प्रस्तावक को यह अधिकार है कि वह मंत्री जी से कुछ क्वैरिज कर सकता है और मंत्री जी उसका उत्तर देते हैं इसके बाद मा0 अध्यक्ष कटौती प्रस्ताव रखने वाले सदस्य से पूछते हैं कि क्या वह प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। सदस्य यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो वे प्रस्ताव वापस ले लेते हैं अन्यथा वह बल देते हैं प्रक्रिया में समय–समय अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं। और समय की

कमी को देखते हुये प्रदेश में प्रारम्भ से ही यह प्रक्रिया अपनाई गई हैं जो वर्तमान मेचल रही है। श्री उपाध्यक्ष जी ने कहा की मा0 मंत्री जी इसका परिक्षण करा लेगे।

शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री हरीश सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा शहरी विकास मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–06 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 45573 हजार (रूपये चार करोड़ पचपन लाख तिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–09 के अधीन मांग की गयी धनराशि पूर्णरूप से स्वीकृत की गयी।

शहरी विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 7263767 हजार (रूपये सात सौ छब्बीस करोड़ सैंतीस लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री आदेश सिंह चौहान ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–10 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त कियेः–

1. काजी निजामुद्दीन
2. श्री हरीश सिंह धामी
3. श्री गणेश जोशी
4. श्री मनोज रावत

शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री आदेश सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा शहरी विकास मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–10 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 11397526 हजार (रूपये एक हजार एक सौ उन्तालीस करोड़ पचहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

काजी निजामुद्दीन ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–12 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री मुन्ना सिंह चौहान
2. श्रीमती ममता राकेश
3. श्री विनोद चमोली
4. श्री हरीश सिंह धामी

07 बजकर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

5. श्री विनोद कण्डारी
6. श्री मगन लाल शाह
7. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
8. श्री मुकेश सिह कोली

9. श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण
10. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
11. श्री सौरभ बहुगुणा
12. श्री नवीन चन्द्र दुम्का
13. श्री मनोज रावत
14. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
15. श्री राम सिंह कैड़ा
16. श्रीमती मीना गंगोला

वन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त काजी निजामुद्दीन द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा वन मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–12 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 301171 हजार (रूपये तीस करोड़ ग्यारह लाख ईकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

काजी निजामुद्दीन ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–14 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये:–

1. श्री मुन्ना सिंह चौहान
2. श्री महेश नेगी
3. श्री मनोज रावत
4. श्री हरीश सिंह धामी
5. श्री विनोद चमोली

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त काजी निजामुद्दीन द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–14 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 9259829 हजार (रूपये नौ सौ पच्चीस करोड़ अठ्ठानवे लाख उन्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री फुरकान अहमद ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–15 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये:–

1. श्रीमती ममता राकेश
2. श्री महेश नेगी
3. श्री हरीश सिंह धामी
4. श्री जॉर्ज आईवान ग्रेगरी मैन

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि रात्रि के 10:00 बज चुके हैं। चूंकि आज की कार्यवाही की कुछ आवश्यक मदें अभी शेष हैं, इसलिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

5. श्री देशराज कर्णवाल

10 बजकर 05 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

समाज कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री फुरकान अहमद द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा समाज कल्याण मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–15 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

ग्राम विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 14544123 हजार (रूपये एक हजार चार सौ चौवन करोड़ इक्तालीस लाख तेईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हरीश सिंह धामी ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये:–

1. श्री देशराज कर्णवाल
2. श्री मनोज रावत
3. श्री मुकेश सिंह कोली

ग्राम विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री फुरकान अहमद द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा समाज कल्याण मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–19 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 927232 हजार (रूपये बयानवे करोड़ बहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हरीश सिंह धामी ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–21 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये:–

1. काजी निजामुद्दीन
2. श्री मुन्ना सिंह चौहान

11 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री हरीश सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–21 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

शहरी विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 11766727 हजार (रूपये एक हजार एक सौ छिहत्तर करोड़ सड़सठ लाख सत्ताईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नेता प्रतिपक्ष ने सदन का समय 12.00 बजे रात्री से आगे बढ़ाये जाने के संबंध में आपत्ति जताते हुये कहा कि यदि सदन का कार्य रात्री 12.00 बजे से आगे बढ़ाया जाना है तो उसके लिये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की जानी होगी, फिर कल हाउस होगा। यह परम्परा नहीं डाली जानी चाहिए कि रात्री 12.00 बजे के पश्चात आज के एजेण्डा का कार्य हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नया एजेण्डा आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिना कार्य मंत्रणा समिति के एजेण्डा नही लाया जाना चाहिए। नही तो इसका विरोध किया जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन में नियमावली से चलता है। और नियमानुसार ही एजेण्डा लाया जायेगा। और सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने कार्य की मंत्रणा करे कि कौन सा एजेण्डा लाया जायेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 12.00 बजे रात्री से आगे यदि कार्य होगा तो प्रतिपक्ष की सहमति भी आवश्यक है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि हमें परिकल्पित बातों पर ध्यान न देकर सदन के कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। यह सत्र

बहुत अच्छा चल रहा है और हमें इसे इसी प्रकार आगे बढाना है। कृपया सभी लोग शांत हो जाये और कार्य की अगली मद के क्रम में माननीय मंत्री अपनी बात कहें।

शहरी विकास मंत्री ने अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के संबंध में प्रस्तुत अनुदान की मांग पर वक्तव्य दिया।

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–22 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा शहरी विकास मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–22 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1561681हजार (रूपये एक सौ छप्पन करोड़ सोलह लाख इक्यासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री आदेश सिंह चौहान ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–23 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

समाज कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री आदेश सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा शहरी विकास मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–23 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1664047 हजार (रूपये एक सौ छियासठ करोड़ चालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा अनुदान संख्या–25 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 तथा खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 जून, 2017 की बैठक में दिनांक 15 जून, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

15 जून, 2017, गुरूवार

विधायी कार्यः–

1. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 तथा खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये कहा कि अभी रात में एक अनुपूरक कार्यसूची प्राप्त हुई है जिसमें प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा कतिपय विधेयक पुरःस्थापित करने आदि का कार्य लिया जाना है। यह परम्परा का उल्लंघन है तथा इस सदन का अपमान है कि कार्य मंत्रणा समिति में लाये बिना कार्यसूची में मदें लाई जा रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह पारित नही हो रहे है सिर्फ पुरःस्थापित हो रहे है और प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन सदन में रखा जा रहा है इसमें नियम एवं परम्परा के विरूद्ध कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है। इस पर विपक्ष के अन्य सदस्य भी जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार प्रतिपक्ष का अपमान कर रही है, अतः वे और उनका दल सदन का परित्याग कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन का बहिर्गमन किया गया।

आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 तथा खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे सभी सूचनाओं को शासन का ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

विपक्ष के सभी सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते हुये सदन में वापिस आ गये और नारेबाजी करते हुये सदन के वेल में आ गये जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र भीमताल में धारी ब्लॉक से धारी–कौल–धानाचूली मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में श्री राम सिंह कैड़ा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य शहरी विकास मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में लागू किये गये स्थानीय विकास प्राधिकरण को निरस्त किये जाने के संबंध में श्री चन्दन राम दास, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 तथा खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

घोर व्यध्यान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यध्यान के ही मध्य वित मंत्री ने उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गई।

वित मंत्री ने उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री मुकेश कोली, सदस्य, विधानसभा द्वारा ''पौड़ी विधानसभा के विकासखण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत, ज्वालपा देवी पम्पिंग पेयजल योजना के पुर्नगठन के सम्बन्ध मेंः'' श्री सुरेशानन्द अन्थवाल, ग्राम नौगांव पोस्ट पीपलपानी, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधानसभा द्वारा ''जनपद चमोली के सोनला कण्डारा सिलंगी मैखुरा धारड़गी मोटर–मार्ग पर घटिया निर्माण कार्य की जांच के सम्बन्ध में'' श्री महेन्द्र सिंह रावत, ग्राम–कण्डारा, जनपद चमोली, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधानसभा द्वारा ''जनपद चमोली के कर्णप्रयाग–नैनीसैण खत्याड़ी मोटर– मार्ग पर ए0 डी0 बी0 द्वारा कराये जा रहे घटिया निर्माण कार्य की जांच के सम्बन्ध में'' श्री महिपाल सिंह नेगी, ग्राम बणसोली, पो0 बरमोली, जनपद चमोली, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य विधानसभा द्वारा '' जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सुनार (गैर अनुसूचित जाति) के लोगों को अन्य पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में। श्री प्रदीप पंवार, ग्राम त्यूंखर जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई ।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य विधानसभा द्वारा ''ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि का भूमिधरों को मुआवजा धनराशि की दर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। श्री विनोद राणा, ग्राम डुंगरीपंत जनपद पौडी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विघान सभा उपस्थित की गई।

सभापति, प्रवर समिति द्वारा उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक 2017 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

सभापति, प्रवर समिति द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति संख्या 1014/xxxi(13) जी/(2012)-44(सा0)/2012, दिनांक 28 मार्च 2013 द्वारा गठित एकल सदस्यीय (एस.सी.त्रिपाठी) जांच आयोग के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री अध्यक्ष की अनुज्ञा से प्रस्ताव किया कि सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के पश्चात अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।